



# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्रदत्त/NAAC Accreditation 'A' Grade

डॉ. सुरेन्द्र पी. गादेवार

Dr. Surendra P. Gadewar

परीक्षा नियंत्रक

Controller of Examinations

क्रमांक: 04/परी/दी.स./2026/26 | 3901

दिनांक: 30.03.2026

## छठवाँ दीक्षांत समारोह-2026 की पंजीकरण की तिथि पुनः विस्तारित करने के संबंध में अधिसूचना

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) का छठवाँ दीक्षांत समारोह 16 अप्रैल, 2026 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के संबंध में अधिसूचना क्रमांक:04/परी/दी.स./2026/26/3776 दिनांक 13.02.2026 के तहत विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://hindivishwa.org> पर उपलब्ध 'समर्थ पोर्टल' लिंक: <https://mgahv.samarth.edu.in/convocation> के माध्यम से दिनांक 17.02.2026 (पूर्वाह्न:10:00 बजे) से दिनांक 28.02.2026 (रात्रि 11:59 बजे) तक पंजीयन शुल्क रु. 100/- (रु. एक सौ मात्र) का ऑनलाइन भुगतान कर दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने हेतु पंजीयन करने का निर्धारण किया गया था, जिसे अधिसूचना क्रमांक:04/परी/दी.स./2026/26/3803 दिनांक 27.02.2026 के तहत ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 10.03.2026 (रात्रि 11:59 बजे) तक बढ़ाई गई थी। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 20.03.2026 (रात्रि 11:59 बजे) तक पुनः बढ़ाई गई थी। विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदन के आलोक में एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत अंतिम अवसर के रूप में छठवाँ दीक्षांत समारोह-2026 की पंजीकरण की तिथि दिनांक 31.03.2026 (प्रातः 10:00 बजे) से 01.04.2026 (रात्रि 11:59 बजे) तक बढ़ाई जाती है।

शेष नियम व शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

(डॉ. सुरेन्द्र पी. गादेवार)

30/03/2026

प्रतिलिपि (ई-मेल के माध्यम से)

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/अकादमिक निदेशक/केंद्र प्रभारी
4. मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय
5. कुलानुशासक कार्यालय
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय
7. वित्त विभाग
8. अकादमिक विभाग
9. प्रभारी, लीला, विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
10. संबंधित पत्रावली।